न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना
गाँव व डाकः गोरखपुर, तहसील-भूना, जिला-फतेहाबाद, हरियाणा-125047
निगम पहचान सं. U40104MH1987GOI149458
फ़ोन नं. 01667-278049

**एन.पी.सी.आई.एल. / गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना / मानव संसाधन /2023/EOI-01**

# अभिरुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की अनुग्रह आवासीय कॉलोनी, अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा में स्थित दुकानों के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं | दुकानों का आवंटन प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित प्रतिमाह लाईसेन्स फीस ₹ 4853/- (जीएसटी सहित) के आधार पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में कुल 10 दुकानें आवंटित की जानी है। एक आवेदक उपरोक्त सभी दुकानों हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसके लिए उसे प्रत्येक दुकान हेतु पृथक आवेदन फॉर्म खरीदना होगा। किसी आवेदक की एक से अधिक दुकानों की लाटरी खुलने पर उस आवेदक को केवल एक ही दुकान का आबंटन किया जाएगा।

उपर्युक्त दुकानों को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित दर, उत्तम गुणवत्ता एवं संतोषजनक सेवा प्रदान कर सुचारू रूप से चलाने के लिए इच्छुक व्यक्ति दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन फॉर्म **वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन), गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, गाँव व डाकः गोरखपुर, तहसील-भूना, जिला-फतेहाबाद, हरियाणा-125047** कार्यालय से **"Nuclear Power Corporation of India Limited" payable at Fatehabad** के पक्ष में चेक/डिमांड ड्राफ्ट में देय रु. 590/- @18% GST सहित प्रति आवेदन फॉर्म का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा।

**आवेदन दस्तावेज कार्यालयीन समय (09:30 से 17:30 तक) के दौरान दिनांक 23.09.2023 से 03.10.2023 तक व्यक्तिगत रूप से (डाक द्वारा नहीं) उपरोक्त कार्यालय पते से प्राप्त किये जा सकते हैं** तथा पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म दिनांक 10.10.2023 को 14:00 बजे तक उपरोक्त कार्यालय पते पर जमा किये जा सकते हैं तत्पश्चात आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे | प्राप्त आवेदनों के जांच करने के उपरांत सही पाए जाने वाले आवेदकों को ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा तथा उन्हें ही लॉटरी खुले जाने की सूचना (दिनांक, स्थान व समय ) के बारे में अवगत किया जायेगा |

19/09/2023

**परियोजना निदेशक**
**गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना**

19.09.2023

**एन.पी.सी.आई.एल. / गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना / मानव संसाधन /2023/EOI-01**

**विषय:** गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की अनुग्रह आवासीय कॉलोनी, अग्रोहा में स्थित दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन फॉर्म |


| क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | सूचना | 2-3 |
| 2 | आवेदन पत्र | 4-5 |
| 3 | आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें | 6-7 |
| 4 | अनुबंध प्रारूप | 8-10 |
| 5 | पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र | 11 |

| | | |
|---|---|---|
| राष्ट्र की सेवा में परमाणु<br>एनपीसीआईएल<br>NPCIL<br>ATOMS IN THE SERVICE OF THE NATION<br>न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड<br>Nuclear Power Corporation of India Limited | **न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**<br>**Nuclear Power Corporation of India Limited**<br>(भारत सरकार का उद्यम A Govt. of India Enterprise)<br>**गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना**<br>Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana<br>गाँव व डाकः गोरखपुर जिलाः ,तहः भूना ,फतेहाबाद125047-हरियाणा ,<br>Vill & P.O. Gorakhpur, Teh: Bhuna, Distt: Fatehabad, Haryana-125047<br>निगम पहचान सं Corporate Identity No.. U40104MH1987GOI149458<br>ईमेल Email: bjaiswal@npcil.co.in, फ़ोन नं .Phone No.01667-278049 | G20<br>भारत 2023 INDIA<br>वसुधैव कुटुम्बकम्<br>ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE |

## सूचना

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की ओर से इच्छुक, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति एवं अनुभवी व्यक्तियों / प्रतिष्ठानों से गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की अनुग्रह आवासीय कॉलोनी, अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा में स्थित दुकानों के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं | दुकानों का आवंटन प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित प्रतिमाह लाईसेन्स फीस ₹ 4853/- (जीएसटी सहित) के आधार पर आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर पात्र आवेदनों में से लॉटरी प्रणाली द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा |

गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की अनुग्रह आवासीय कॉलोनी में निम्नलिखित दुकानों का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है , जिसका विवरण निम्नानुसार है -

| क्र. सं. | दुकान का विवरण | दुकानों की संख्या | दुकान का नंबर | दुकान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में ) | लाइसेंस फीस प्रतिमाह (₹ में) जीएसटी सहित | तीन वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंस फीस के 2% की दर से बयाना (ईएमडी) राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | सब्जी एवं फल की दुकान | 1 | 01 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |
| **2.** | टेलरिंग शॉप | 1 | 02 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |
| **3.** | लांड्री/ड्राई क्लीनर शॉप | 1 | 03 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |
| **4.** | मेंस सेलून | 1 | 04 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |
| **5.** | ब्यूटी पार्लर | 1 | 05 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |
| **6.** | किराना स्टोर | 1 | 06 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |
| **7.** | ई सेवा केंद्र/ स्टेशनरी शॉप | 1 | 07 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |
| **8.** | बेकरी/ डेयरी प्रोडक्ट्स व आइसक्रीम पार्लर | 1 | 08 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |
| **9.** | स्वीट्स एवं फास्ट फूड शॉप | 1 | 09 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |
| **10.** | जनरल स्टोर (गिफ्ट, खिलोने, क्रोकरी, कॉस्मेटिक इत्यादि) | 1 | 10 | 15.3 | 4853/- | 3494/- |

उपर्युक्त दुकानों को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित दर, उत्तम गुणवत्ता एवं संतोषजनक सेवा प्रदान कर सुचारू रूप से चलाने के लिए इच्छुक व्यक्ति दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन फॉर्म वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन), गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, गाँव व डाकः गोरखपुर, तहसील-भूना, जिला-फतेहाबाद, हरियाणा-125047 कार्यालय से **Nuclear Power Corporation of India Limited** के पक्ष में चेक/डिमांड ड्राफ्ट में देय रु. 590/- @18% GST सहित प्रति आवेदन फॉर्म का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं | **आवेदन दस्तावेज कार्यालयीन समय (09:30 से 17:30 तक) के दौरान दिनांक 23.09.2023 से 03.10.2023 तक व्यक्तिगत रूप से ( डाक द्वारा नहीं ) उपरोक्त कार्यालय पते से प्राप्त किये जा सकते हैं |**

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन), गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, गाँव व डाकः गोरखपुर, तहसील-भूना, जिला-फतेहाबाद, हरियाणा-125047 कार्यालय में दिनांक 10.10.2023 को 14:00 बजे तक प्राप्त / जमा हो जाने चाहिए तत्पश्चात आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे| प्राप्त आवेदनों के जांच करने के उपरांत सही पाए जाने वाले आवेदकों को ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा तथा उन्हें ही लॉटरी खुले जाने की सूचना (दिनांक, स्थान व समय ) के बारे में अवगत कराया जायेगा |

सभी आवेदकों को आवेदन के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारुप में) प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

19/09/2023

**परियोजना निदेशक**

**गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना**

19.09.2023

# आवेदन फार्म

**गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की अनुग्रह आवासीय कॉलोनी, अग्रोहा में स्थित दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन फॉर्म**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आवेदित दुकान का विवरण | | आवेदक स्वयं का हस्ताक्षर नवीनतम छायाचित्र चिपकाएं। |
| 2. | दुकान की क्रम संख्या | | |
| 3. | जमा कराई जाने वाली बयाना राशि (ईएमडी) का विवरण | डी.डी.सं. दिनांक:<br>राशि: जारीकर्ता बैंक : | |
| 4. | आवेदक का नाम | | |
| 5. | आवेदक के पिता का नाम | | |
| 6. | आवेदन का शैक्षणिक स्तर | | |
| 7. | आवेदक का वर्तमान पत्र व्यवहार का पता | | |
| 8. | आवेदक का स्थायी पता | | |
| 9. | आवेदक के संपर्क का विवरण | मोबाइल संख्या : ई-मेल: | |
| 10. | राष्ट्रीयता | | |
| 11. | वर्तमान में चलाये जा रहे व्यवसाय का नाम एवं प्रकार (यदि हो तो) | | |
| 12. | व्यवसायिक अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि हो तो) | | |
| 13 | यदि दुकान आवंटित की जाती है तो अनुमानित निवेश का विवरण | | |
| 14. | आवेदक के बैंक खाते का विवरण | बैंक खाता संख्या-<br>बैंक का नाम एवं शाखाः | |
| 15. | आवेदक का स्थायी खाता संख्या (पेन कार्ड संख्या) | | |
| 16. | आवेदक का आधार संख्या | | |
| 17. | पूर्व अनुभवों का ब्यौरा | (क्रम संख्या 10 पर दर्शाए वर्तमान व्यवसाय के अलावा) | |

| क्र.सं. | नाम तथा दुकान का प्रकार | व्यवसाय का स्थान | अवधि | | किये जा रहे व्यवसाय का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | से | तक | |
| | | | | | |
| | | | | | |

18. गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना व एनपीसीआईएल की अन्य साईट / परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्यरत निकट संबंधियों का विवरण

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | संबंध | इकाई/अनुभाग जिसमें कार्यरत है |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी जो मैंने दी है, वह सही है तथा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं छिपाया गया है, जो मुझे उक्त दुकान के आवंटन हेतु अयोग्य ठहरा सके| मैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा उचित मूल्य के आधार पर सामग्री का विक्रय करूँगा तथा ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करूँगा | उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सही है | मैं एनपीसीआईएल द्वारा जारी होने वाले नियम जो कि मुझसे संबंधित होंगे का पूर्ण निष्ठा एवं प्रतिबद्धता से पालन करूंगा।

**संलग्नक:**

| क्रमांक | विवरण | संलग्न है या नहीं |
|---|---|---|
| 1. | बयाना राशि हेतु डिमांड ड्रॉफ्ट | |
| 2. | आधार कार्ड की फोटोकॉपी | |
| 3. | पेन कार्ड की फोटोकॉपी | |
| 4. | बैंक पासबुक की फोटोकॉपी | |
| 5. | जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र | |
| 6. | स्थानीय पुलिस थाना से जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति | |
| 7. | दुकान आवंटन के नियम एवं शर्तें बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार आरक्षित दुकानों हेतु राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति | |
| 8. | दुकान आवंटन के नियम एवं शर्तें बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार आरक्षित दुकानों हेतु राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रति | |

टिप्पणी: आवेदन दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। संलग्न किए जा रहे दस्तावेज (जो भी लागू हों) स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए। आवेदक को स्थानीय पुलिस थाना से जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति एनपीसीआईएल द्वारा जारी किए गए प्रारुप के अनुसार उपलब्ध किया जाना होगा।

भवदीय,

हस्ताक्षर :.................................

नाम:.......................................

दिनांक :................................

## दुकान आवंटन के नियम एवं शर्तें

1. उपरोक्त दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जायेगा |

2. उपरोक्त दुकानों में से लांड्री/ड्राई क्लीनर शॉप धोबी जाति, मेंस सेलून नाई जाति, ब्यूटी पार्लर महिलाओं एवं ई सेवा केंद्र/ स्टेशनरी शॉप दिव्यांग वर्ग के आवेदकों हेतु आरक्षित रहेगी, जिसके लिए आवेदकों को राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी जाति एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा |

3. एक आवेदक उपरोक्त सभी दुकानों हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसके लिए उसे प्रत्येक दुकान हेतु पृथक आवेदन फॉर्म खरीदना होगा | किसी आवेदक की एक से अधिक दुकानों की लाटरी खुलने पर उस आवेदक को केवल एक ही दुकान का आबंटन किया जाएगा |

4. उपर्युक्त सभी दुकानों पर भारत सरकार एवं एनपीसीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी नियम व शर्तें लागू होंगी | आवंटित की जाने वाली दुकानों पर सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत कब्जा बेदखली ) अधिनियम **1971** लागू होगा |

5. आवेदन दस्तावेज **Nuclear Power Corporation of India Limited** के पक्ष में चेक/डिमांड ड्राफ्ट में देय रु. 590/- @18% **GST** सहित प्रति आवेदन फॉर्म का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकेगा, जोकि नॉन रिफंडेबल रहेगा | आवेदन दस्तावेज कार्यालयीन समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से ( डाक द्वारा नहीं ) उपरोक्त कार्यालय पते से प्राप्त किये जा सकेंगे |

6. सभी आवेदकों को विधिवत रूप से भरे गए आवेदन दस्तावेज के साथ प्रत्येक दुकान के सामने दर्शायी गई बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी, बयाना राशि (ईएमडी) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **Nuclear Power Corporation of India Limited** के पक्ष में देय होगी | चेक, नगद, बैंक गारंटी आदि ईएमडी के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे | जिन निविदा दस्तावेजों के साथ बयाना राशि (ईएमडी) नहीं लगी होगी तो ऐसे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा लाटरी के दौरान जिस बोलीदाता का नाम दुकान आवंटन हेतु स्वीकार होता है तो उसके आवंटन के प्रस्ताव को वापस लेने या रद्द करने की स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी | लाटरी में सफल चयनित आवेदकों को छोड़कर अन्य सभी असफल आवेदकों को बयाना राशि (ईएमडी) वापस कर दी जाएगी |

7. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिए गए अंतिम तिथि व समय तक जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनकी जाँच उपरांत नियमानुसार उचित निविदाकर्ताओं को ही लाटरी सिस्टम में शामिल किया जाएगा | नियत अंतिम तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा |

8. लाटरी में सफल चयनित आवेदकों (आवंटियों) को तीन माह का लाइसेंस फीस ₹ 14559 /- बतौर जमानत राशि सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा |

9. प्रत्येक आवंटी को दुकान की मासिक लाइसेंस फीस प्रत्येक माह के 10 तारीख तक या उससे पूर्व जमा करना होगी | लाइसेंस फीस नियत तिथि तक जमा नहीं करने पर आवंटी को 10 रूपये प्रति दिवस विलम्ब शुल्क के रूप में देय होगा |

10. आवंटी को 100 /- (सौ रूपये) के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लाइसेंस डीड / अनुबंध का निष्पादन करना होगा |

11. आवंटी को शॉप एवं इस्टैब्लिशमेंट एक्ट तथा उससे सम्बंधित सभी क़ानूनी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा |

12. केंद्र एवं राज्य सरकार व उनके नियंत्रणाधीन इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी दुकान आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे |

13. आरंभ में दुकानों को तीन वर्ष (36 माह) की अवधि के लिए आवंटित किया जाएगा तथा प्रत्येक तीन वर्षो के पश्चात लाइसेंस शुल्क में 5% की दर से वृद्धि कर दुकानों के आवंटन का नवीनीकरण किया जा सकेगा, इस शर्त के अधीन कि किसी विशेष एनआईटी के लिए दुकान के आवंटन की कुल अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी |

14. लाटरी द्वारा प्रथम चयनित आवेदक आठ दिन के भीतर आबंटित दुकान का कब्ज़ा नहीं लेता है तो द्वितीय चयनित आवेदक को दुकान का आबंटन कर दिया जाएगा | द्वितीय चयनित आवेदक आठ दिन के भीतर आबंटित दुकान का कब्ज़ा नहीं लेता है तो तृतीय चयनित आवेदक को दुकान का आबंटन कर दिया जाएगा |

15. उपरोक्त सभी दुकानों की लाइसेंस फीस पर @18% जीएसटी लागू है, जोकि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तनीय है | लाइसेंस फीस के अतिरिक्त जल प्रभार राशि ₹10/- प्रतिमाह एवं विद्युत प्रभार वास्तविक उपभोग के अनुसार अलग से देय होंगे |

16. उपर्युक्त दुकानों को उपभोक्ताओ की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए उचित दरो , उत्तम गुणवत्ता एवं संतोषजनक सेवा प्रदान कर सुचारू रूप से चलाना होगा | जो भी दुकानदार इसका पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम **1971** के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी तथा उसका आवंटन भी रद्द किया जा सकता है |

17. आवंटी को दुकान खाली करने संबंधी नोटिस एवं विभाग द्वारा आवंटी से दुकान को खाली कराने संबंधी नोटिस तीन माह पूर्व देना होगा |

18. आवंटी द्वारा दुकान में किसी भी प्रकार का गैरकानूनी अथवा अवैध व्यापार में संलग्न पाए जाने पर उसका आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा |

19. आवंटी को दुकान जिस प्रयोजन हेतु अर्थात जो सामग्री बेचने हेतु आवंटित हुई है, उसी प्रयोजन हेतु उसका संचालन करना होगा अन्यथा दुकान का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा |

20. आवंटी द्वारा लाइसेंस डीड के किसी भी नियम एवं शर्त के उल्लंघन करने पर दुकान का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा |

21. इकाई प्रमुख, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना किसी भी या सभी निविदाओं/आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं |

-------------------------x-------------------------x----------------------------

# TO BE FURNISHED ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF RS.100/-

**THIS DEED OF LICENCE** is made on____________this____ day of __________ 2023 ____________________________ BETWEEN The Nuclear Power Corporation of India Limited, Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana through its Estate Officer, Sh.______________________________, the owner of said premises (hereinafter called) the **"LICENSOR"** which expression unless excluded by or repugnant to the subject or context, include his successors in office and assigns on the **ONE PART.**

**AND**

Sh.______________________________________, S/o / D/o____________________________, aged____________Occupation______________________________, Resident of ________________

__________________________________________________________________

(hereinafter called the **"LICENSEE" / ALLOTTEE") the SECOND PART)**

**WHEREAS THE "LICENSOR"** is the legal owner of Shop NO._____________________situated at Anu Grah Township, Agroha, Distt. Hisar, Haryana admeasuring ______ sq. mt. and more described in the Schedule-A. (Herein referred as a "Said Premises"). It is agreed by and between the parties that the said premises is a "Public Premises" within the meaning of Public Premises (Eviction of Un-authorized occupants) Act 1971 and therefore the provisions as contained in the Public Premises Act, 1971 (Eviction of Unauthorized Occupant) & Rules and regulations therein shall be applicable to the premises of this agreement.

**NOW THIS INDENTURE WITNESSETH THAT IN CONSIDERATION OF THE TERMS HEREINAFTER MENTIONED AND AGREED TO AND ACCEPTED BY THE PARTIES HERETO:**

1. The "Licensor" hereby grants license to the "Licensee" to use and occupy the said premises (more particularly described the Part-B) Vide allotment order No. ________________ dated _________ for the period w.e.f. ___________ to ____________for running the business of ______________________________until terminated by efflux of time or unless earlier determined by three month's notice by either party or the "Licensee" has no right over the said premises except the use of it and for the purpose specified in the License.

2. The "Licensee" shall pay a sum of Rs.__________to the "Licensor" on which no interest will be payable on account of Security Deposit for the due performance of the terms of this license.

3. (a) The "Licensee" shall pay to the "Licensor" a sum of Rs._________________ (Rupees____________________________________) as a license fee, charge for water @ Rs.10 per month and electricity consumed by him at such rates as may be fixed by the "Licensor" from time to time on or before 10th day of the month following. A penalty @ Rs. 10 per day will be recovered to Licensee for making late payment.
   (b) The licence fees will be reviewed and revised by the "Licensor" after completion of 3 years from the date of allotment @ 5%.
   (c) The "Licensee" shall furnish irrevocable letter of authority in favour of the "Licensor" for auto debiting of monthly Licence Fees and other charges from the "Licensee's" bank account.
   (d) In case of arrears of rent for the period of three months or more the "Licensee" should be treated as an "Unauthorized Occupant" & proceeding under relevant rules of Public Premises Act will be initiated against the said allottee.

4. The "Licensee" shall obtain a receipt from the "Licensor" in acknowledgement of the amount paid by him. No dispute regarding the payment of the license fee will be entertained by the "Licensor" without producing such receipt by the "Licensee", with receipt shall be the conclusive evidence of payment of such license fee.

5. The "Licensee" shall not permit any other person to run and use the said premises or assign or demise or otherwise transfer the license in any manner either by way of "Power of Attorney" or whatsoever with or without consideration or any other manner whatsoever.

6. The shop has to be run by the allottee/"Licensee" only and not to be sublet to anyone and **in case, it is found to be running the business other than Licensee/allottee,** it shall be construed as subletting and the "Licensee" shall be treated as "unauthorized occupant" & proceeding under

relevant rules of Public Premises (Eviction of unauthorized occupant) Act, 1971 will be initiated against the said allottee.

7. The Licensee shall allow and permit the authorized representatives of the licensor to enter upon the said shop at all reasonable time and to examine the conditions in which the said shop is run including its cleanliness and the appliances etc. used in the said shop and price lists of the commodities and rates of services to be rendered which the licensee shall display at the conspicuous place in his shop. The licensee shall have to comply with the instructions or deficiencies pointed out by such committee members on behalf of the licensor.

8. The commodities, articles, things, goods and provisions supplied by the "Licensee" shall be unadulterated, free of impurities and fit for human consumption and the licensee shall not store any hazardous substance in the said premises.

9. The Licensee shall keep the aforesaid shop in the same condition in which they are given to him for use and he shall not affect any changes or alterations of any character whatever in the said shop without previous sanction in writing of the licensor or his authorized representative and further he shall not be entitled to any compensation for any unauthorized additions and alteration made thereon in the event of their being ordered to be dismantled and removed.

10. The Licensee shall be liable to pay costs of or damage caused by him or any of his servants or representatives to the said shop as assessed by the Civil Engineer of the Licensor which shall be final and binding on the parties.

11. The "Licensee shall take all reasonable care of all the said furniture's, fixtures, fittings, articles, things and appliances being in the said premises and the Licensee hereby fully and effectively indemnifies the Licensor from and against any losses or damages to the same.

12. The services rendered by the "Licensee" shall satisfy the customers and will not give them any cause for complaints to the "Licensor" and the licensee shall comply with all security instructions being issued by the Licensor or his authorized representatives from time to time.

13. The opening and closing timings of the aforesaid shop shall be as per the direction of the Estate Officer and within the frame work of statutory obligations like Shop Establishment Act or similar other enactments, wherever applicable.

14. The "Licensee" shall keep a complaint cum suggestion book or box in the said shop and such book, box shall be made available to all the customers who have asked for and it shall be sent to the authorized representative of the "Licensor" every month for inspection and checking.

15. The licensee shall keep the aforesaid shop in a neat and clean condition and shall not put up any temporary or permanent sitting or other arrangement inside or outside the allotted premises for any purpose except required necessarily for running the business without the clearance of the licensor.

16. "Licensee" shall not make any alteration and addition to the shop without prior permission in writing by Estate Officer.

17. The shops will be initially allotted for a period of 3 years and after the expiry of the license period, the "Licensee", if he is desirous of renewing the license hereby granted for a further period not exceeding 03 years, the "Licensee" shall apply for the same in writing at least one month before the expiry of the license and to "Licensor" who may at its discretion grant license for such further period not exceeding 03 years on shorter period, as the case may be on such terms revised licence fee and such other conditions and stipulations as may be agreed to by and between the parties. It shall be renewed further every 3 years by revising the licence fee, subject to condition that total period of allotment of shop against a particular NIT/EOI shall not exceed 15 years.

18. It is hereby agreed that the "Licensee" shall immediately on the expiration of this License or earlier revocation thereof the "Licensee" Shall at his own costs remove himself together with all articles and things belonging to the "Licensee" and deliver of the said premises to the "Licensor". If the "Licensee" fails to comply with any terms of such notice and being in the said premises and fails to remove

himself, the "Licensee" shall responsible for any liabilities, damages or losses that may be caused to remove the same by "Licensor".

19. The "Licensor" shall be entitled to terminate this deed of licence on giving three months' notice in writing and by delivering, leaving or pasting it at the "said premises" and without assigning any reasons whatever and to call upon the "licensee" to remove forthwith on the expiry of such notice all his belongings and effects from the premises for the breach of any terms, conditions and stipulations' of this deed, if the "Licensee" fail to do so the "Licensor" or his authorized representative shall be entitled to remove all such belongings and effects of the "Licensee" from the said shop without in any way being liable to the "Licensee" for any damage or loss whatsoever thereto to the office of the "Licensor" dealt with the disposed of by public auction. The "Licensor" shall also be at liberty such notice and shall also further entitled to prohibit stop and restrain the "Licensee" from entering the said shop.

20. In case, the "Licensee's failure to comply with any of the conditions or stipulations of this deed or breach of any terms and conditions, the "Licensor" shall be entitled to:
    (a). Forfeit, the amount of aforesaid deposit or any part thereof,
    (b). A penalty @ Rs. 10 per day will be recovered to Licensee for making late payment in case the "Licensee" fails to pay the dues of license fee in time without prejudice to its rights to have recourse to any other remedies available to it is by law or by this deed and evict the "Licensee" by taking action under the provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971.
    (c). Deduct any amount due to the "Licensee" under these presents from any amount or amounts payable by the "Licensor" to the "Licensee" under this, or any other agreement.
    (d). Besides these, the "Licensor" shall be free to disconnect the electricity supply, if the "Licensee" is defaulting continuously to deposit Licence fees and other charges for more than two months.

**THE SCHEDULE-A**

**Shop No.___________ admeasuring Area________Sqm. bounded by**

**East__________________**
**West**
**North_________________**
**South_________________**

In witness whereof the parties have hereto set their respective hands the day and year first herein above written

Signed sealed and delivered by

Sh.____________________________________ Signature________________
**(LICENSEE)**

Witness:
1.______________________________
______________________________
2.______________________________
______________________________

**SIGNED AND DELIVERED BY:**

In the name of and for and on behalf of the Nuclear Power Corporation of India Limited,_______________________Gorakhpur Anu Vidyut Pariyojana duly authorized under

**ESTATE OFFICER**

In presence of:
1. ______________________________
2. ______________________________

# पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र

| |
|---|
| पुलिस प्राधिकारी द्वारा फोटो सत्यापित किया जाए |

(पुलिस प्राधिकारी द्वारा फोटो सत्यापित किया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु./सुश्री ____________________________________________

पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री____________________________________________________________

(स्थानीय-पता)____________________________________________________________

का वास्तविक निवासी है तथा इनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है और न ही इनके विरुद्ध कोई पुलिस कार्यवाही वर्तमान में लंबित है। पुलिस रिकार्ड में उपरोक्त व्यक्ति के संबध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी उपलब्ध नहीं है।

दिनांकः

**थानाधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित**